न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 89/2019 (2019/00257)

1. प्रवीण कुमार मित्तल पुत्र स्व. रतनलाल मित्तल जाति महाजन निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी ––प्रार्थी

बनाम

1. पदमचन्द मित्तल (जैन) पुत्र स्व. रतनलाल मित्तल जाति महाजन निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. महावीर प्रसाद मित्तल (जैन) पुत्र स्व. श्री रतनलाल मित्तल जाति महाजन निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू अभिलेख एवं उप पंजीयक), केकड़ी जिला अजमेर

––अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री हेमन्त जैन–प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड–अप्रार्थीगण अधिवक्ता

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>आदेश</u>

दिनांकः– 10/1/23

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खेवट खतौनी संख्या		खसरा संख्या	रकबा	किस्म
946	899	6204	0.34	बारानी–1
		किता 1	रकबा 0.34 हैक्टर	

उपरोक्त आराजी का प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 एवं स्थायी निशधाज्ञ हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्हें सफलता मिलने की पूर्ण आशा व सम्भावना है। उक्त आराजीयात ग्राम केकड़ी, पटवार क्षेत्र केकड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र केकड़ी में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 6204 में एक कुंआ भी बना हुआ है जिससे उक्त आराजीयात सिंचित होती है। उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थी सं. 1 पदमचन्द के नाम दर्ज थी, जिस संबंध में दिनांक 07.09.2009 को एक इसकरारनामा अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी के मध्य तहरीर किया गया तथा जिसमें दोनो ही पक्षों ने आपसी सहमती से यह तय किया कि –

"यह प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की सामलाती जायदाद जहां पर मित्तल इण्डस्ट्रीज व अनिल इण्डस्ट्रीज स्थित है, जिसके चारो तरफ बाउण्डरी है व खाली पडी जमीन बघेरा रोड स्थित ओसवाल मंदिर के सामने स्थित है तथा उक्त इण्डस्ट्री में समस्त जमीन व बिल्डिंग व प्लान्ट व मशीनरी आदि में दोनो पक्ष बराबर–बराबर के हिस्से के 50–50 प्रतिशत हकदार है, जिसमें से एक हिस्सा खाली पडी जमीन जिस पर कुंआ व खेती करते है, जो पदमचन्द जैन के नाम से रजिस्टर्ड है एवं बकाया हिस्सा इण्डस्ट्री लगी हुई है, उक्त जमीन जो महावीर प्रसाद एवं रतनलाल मित्तल के नाम से है, जबकि महावीर प्रसाद मित्तल का कोई हक व अधिकार नही है तथा उक्त जमीन पारिवारिक समझोते में दोनो पक्षों के ही हिस्से में आयी है तथा दोनो पक्षों को ही उक्त जमीन व इण्डस्ट्री को बेचने का हक व अधिकार है"

प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 इकरारनामें की पृष्ठ भूमि व पारिवारिक बंटवारे के अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात पर संयुक्त रूप से काविज है तथा दोनो के मध्य आराजीयात का कोई विभाजन नही हुआ है। किसी भी पक्ष को बिना बंटवारा किये आराजीयात को किसी भी व्यक्ति को बेचे जाने का अधिकार नही है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राज का फायदा उठाते हुए प्रार्थी को कागजी रूप से बेदखल करने की नीयत से एक दान पत्र दिनांक 23.09.2014 को अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में तहरीर करवा दिया जो कि दान पत्र अपने आप में ही प्रभावहीन है

Scanned with OKEN Scanner

तथा इससे प्रार्थी के हकों पर कोई प्रभाव नही पडता है। प्रार्थी द्वारा बैंक से लोन लेने हेतु दिनांक 18.04.2019 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उसे जानकारी हुई कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अवैध रूप से आराजी खसरा नम्बर 6204 में से 0.14 हैक्ट. जगीन का दान पत्र अप्रार्थी सं. 2 के नाम तहरीर करवा दिया है तथा इस जानकारी के उपरांत जब उसने अप्रार्थी सं. 1 व 2 से दिनांक 25.04.2019 को सम्पर्क किया तो उन्होने टालमटोल की तथा कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया तथा प्रार्थी को कहा कि अब हम तुझे इस आराजी से बेदखल करेंगे जिससे मजबूर होकर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण मय उनके एजेन्ट, रिश्तेदारान इत्यादि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाना न्यायोचित है कि वे प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे, उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें, ना ही मौके पर इसकी स्थिति किसी प्रकार से परिवर्तित करे तथा ना ही आराजीयात को किसी भी रूप में रहन, बक्शीस, विक्रय, अन्तरण इत्यादि करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के –

1 पेरा संख्या 01 में वर्णित कथन वाद पेश करने बाबत सही है शेष कथन गलत है ठोस रूप से अस्वीकार है। पेरा संख्या 02 में वर्णित कथन सही है स्वीकार है। पेरा संख्या 03 में वर्णित कथन वादी स्वयं सिद्ध करे। पैरा संख्या 04 में वर्णित कथन जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है। पैरा सं. 05 में वर्णित कथन गलत है, ठोस रूप से अस्वीकार है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा स्वामित्व नही है। पेरा संख्या 06 में वर्णित कथन गलत है ठोस रूप से अस्वीकार है। पेरा संख्या 07 में वर्णित कथन बाबत दानपत्र का निष्पादन करना सही है शेष कथन गलत है ठोस रूप से अस्वीकार है। पेरा संख्या 08 में वर्णित कथन जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है ठोस रूप से अस्वीकार है। वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। पेरा संख्या 09 में वर्णित कथन गलत है ठोस रूप से अस्वीकार है। पेरा संख्या 10 में वर्णित कथन गलत है ठोस रूप से अस्वीकार है प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। शेष प्रार्थना प्रार्थी है जो कतई गलत मनगढन्त निराधार तथ्यों पर आधारित होने से ठोस रूप से अस्वीकार है अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब में अतिरिक्त कथन करते हुए बताया उक्त पारिवारिक समझोता सम्यक रूप से मुद्रांकित व पंजीकृत नही है तथा पारिवारिक समझोते की पालना में भूमि अपने नाम कराने हेतु प्रार्थी को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों, स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चलने योग्य नही है तथा आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार खारिज योग्य है। अतः जवाब स्वीकार फरमाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नही पाया गया। अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner